वन अधिकार कानून के अंतर्गत बेदखली के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर एक पर्चा

13 फरवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया था कि वन अधिकार कानून के तहत जिन दावेदारों के दावे खारिज किये जा चुके हैं उनको अगली सुनवाई से पहले बेदखल किया जाये. यह निर्णय चंद सेवानिवृत वन अधिकारियोंए ज़मींदारों और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम कर रहे कुछ एन.जी.ओ द्वारा दायर, वन अधिकार कानून की संवैधानिकता को चुनौती देती हुयी, एक याचिका में दिया गया था. हालाकि 28 फरवरी को न्यायालय ने इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी जिससे हमें अपने संघर्षों के लिए आगे की रणनीति बनाने की थोड़ी मोहलत मिली है लेकिन 13 फरवरी के फैसले ने 'खारिज दावों' को 'नाजायज़ अतिक्रमण' मान के वन अधिकार कानून, जो की वन आधारित समुदायों के साथ हुई बेदखली के ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए बनाया गया था, की आत्मा पर ही सवाल उठा दिया है. यदि वन अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठनों ने तुरंत कदम नहीं उठाये तो देश के सबसे गरीब और हाशिये पर खड़े समुदायों के अधिकारों का फिर हनन होगा और ग्राम सभाओं की निर्णय लेने की शक्तियों को और कमज़ोर बना दिया जाएगा.

सर्वोच्च न्यायालय 13 फरवरी 2019 का आदेश	सर्वोच्च न्यायालय 28 फरवरी 2019 का आदेश
1. पूर्ण रूप से खारिज किये गए दावों पर बेदखली की कार्यवाही को लेकर लिए गए क़दमों पर मुख्य सचिव द्वारा कोर्ट में शपथपत्र (affidavit) 2. मुख्य सचिव द्वारा 24 जुलाई 2019 से पहले-पहले बेदखली की कार्यवाही पूर्ण कि जाये 3. 4 महीने के भीतर राज्य सरकारों द्वारा खारिज दावों का पुनःआंकलन 4. फारेस्ट सर्वे (एफ.एस.आई) द्वारा अतिक्रमण हटाने के पूर्व और बाद का सेटलाईट सर्वे द्वारा निरिक्षण	1. दावों को खारिज करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में शपथपत्र (affidavit) 2. राज्य सरकारें शपथपत्र में स्पष्ट करें की किस कानून के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है 3. 13 फरवरी का निर्देश फिलहाल के लिए स्थगित 4. फारेस्ट सर्वे (एफ.एस.आई) द्वारा 'अतिक्रमित क्षेत्र' का सैटलाईट सर्वे द्वारा निरिक्षण

सर्वोच्च न्यायालय का 13 फरवरी का निर्णय स्थगित रहेगा और वन अधिकार कानून में खारिज दावों से जुडी कोई भी बेदखली फिलहाल नहीं की जाएगी|

यह आदेश किसके लिए है?

1. वन भूमि पर आधारित अनुसूचित जनजाति और अन्य-परम्परागत वन निवासी की श्रेणी में आने वाले समुदाय
2. जिन्होंने वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत दावे पेश किये हैं
3. जिनके व्यक्तिगत दावे कानून में दी गयी प्रक्रिया पूरी होने के बाद खारिज किये गए हैं

यह आदेश केवल उन दावेदारों के लिए है जिनके व्यक्तिगत दावे कानूनी प्रक्रिया हो जाने के बाद पूर्ण रूप से खारिज किये गए हैं

कोई भी व्यक्तिगत दावा कब पूर्ण रूप से 'खारिज' माना जाएगा?

ग्राम सभा द्वारा 'खारिज दावों' के लिए कानूनी प्रक्रिया

- ✓ ग्राम सभा द्वारा दावेदार के दावे खारिज किये जाने की सूचना
- ✓ दावेदार, उप-जिला स्तरीय समिति को ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ 60 दिन (और इससे अधिक 30 दिन और) के अन्दर-अन्दर अपील भेज सकते हैं
- ✓ उप-जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी भी निर्णय से पहले दावेदार को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा
- ✓ उप-जिला स्तरीय समिति विस्तृत रूप से कारणों के साथ दावे खारिज कर सकती है या ग्राम सभा को अपने निर्णय पर पुर्नविचार का सुझाव दे सकती है
- ✓ दावेदार उप-जिला स्तरीय समिति के निर्णय के खिलाफ जिला स्तरीय समिति को याचिका पेश कर सकते हैं. ठीक उसी प्रक्रिया के समान जो उप-जिला स्तरीय समिति स्तर पर अपनाई गयी थी

वन अधिकार कानून की धारा 6 के नियम 12(क) के अंतर्गत ग्राम सभा को दावों को जांचने व इन्हें मंज़ूर या खारिज करने का अधिकार है!

जिला स्तरीय समिति द्वारा खारिज दावे

- ✓ **जिला स्तरीय समिति द्वारा दावे खारिज करने के कारणों को विस्तृत रूप से लिखित में रखा जाएगा**
- ✓ **दावे खारिज करने का आदेश, दावेदारों और ग्राम सभा को जारी किया जारी किया जाएगा**

यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात दावेदार संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जिला स्तरीय समिति के (नामंजूरी) के आदेश को चुनौती दे सकते हैं. साथ ही यदि मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा हो तो संविधान के अनुच्छेद 136 और 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में भी इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं!

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 3 अगस्त 2009 के प्रपत्र के अनुसार ग्राम सभा ही वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया का सत्यापन दे सकती है! सर्वाच्च न्यायालय के नियमगिरी आदेश (2013) 6 SSC 476 ने वन भूमि के मामलों में ग्राम सभा की निर्णायक भूमिका को मान्यता दी है जो की अब संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश में कानून है!

अतः वन अधिकार के दावों की नामंजूरी को तभी माना जाएगा जब ग्राम सभा द्वारा यह मान्यता मिले की नामंजूरी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है.

तब तक वन अधिकार कानून की धारा 4(5) सभी वनाश्रित समुदायों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करती ह

क्या वन अधिकार के दावे की नामंजूरी का परिणाम बेदखली है?

नहीं! वन अधिकार के दावे की नामंजूरी का यह मतलब नहीं की दावेदार नाजायज़ अतिक्रमक (कब्जेदार) है जिसको बेदखल किया जा सकता है. वन अधिकार कानून का उद्देश्य है की वन भूमि पर आधारित समुदायों को, ग्राम सभा के माध्यम से, वनों के उपयोग की कानूनी मान्यता मिले.

- ✓ इस कानून में कहीं भी बेदखली को ले कर ज़िक्र नहीं किया गया है उलटा यह कानून हकदारों/दावेदारों को बेदखली से सुरक्षित करता है
- ✓ इस कानून की धारा 3(1) के तहत कई प्रकार के अधिकार प्रदान किये गए हैं जिनमें व्यक्तिगत पट्टों के लिए दावे करने का अधिकार केवल एक प्रकार का अधिकार है. इस दावे के खारिज होने से दावेदार के दुसरे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता
- ✓ अधिकतर दावे गलत और गैरकानूनी तरीके से खारिज या नामंजूर किये गए हैं और कई राज्य सरकारें इन दावों को खारिज करने की प्रक्रिया का पुनःआंकलन कर रही हैं
- ✓ जो दावेदार इस कानून के तहत दावे करने के पात्र नहीं हैं वह अन्य कानूनों और राज्य स्तरीय नीतियों के तहत भूमि नियमितिकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं

ध्यान रहे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून की धारा 3(1)(छ) के तहत किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वन भूमि या वन अधिकारों से बेदखल करना एक दंडनीय अपराध है!

बेदखली के लिए अलग-अलग कानूनों के तहत अलग प्रावधान लागू होते है परन्तु कुछ मूलभूत बातें याद रहें:

- ✓ ज़िम्मेदार प्राधिकारी द्वारा उचित और समयबद्ध रूप से नॉटिस जारी करना
- ✓ प्रभावित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का अवसर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई
- ✓ बेदखली के कारणों को विस्तृत और लिखित रूप में प्रभावितों को पेश किया जाना चाहिए
- ✓ न्यायपूर्ण मुआवज़े या पुनर्वास अनिवार्य रूप से प्रदान होना चाहिए
- ✓ बेदखली की कार्यवाही को न्यायपालिका में चुनौती भी दी जा सकती है

वंचित समुदायों को बेदखली से सुरक्षित होने के लिए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल कर अपने मूलभूत अधिकारों की मांग करना उचित और संभव है!

अब इस मामले में आगे हम क्या कर सकते हैं?

'संरक्षण' और 'विकास' के नाम पर वनों की असल में सुरक्षा करने वालों को हटाने की कोशिश लगातार न्यायालय के माध्यम से की जा रही है. यह आवश्यक है की हम अपने वन अधिकारों और वनों से जुड़ी निर्णायक भूमिका को ले कर डटे रहें तभी हमारे जीवन का आधार यह जंगल भी बच सकते हैं !

- ✓ **वन अधिकार कानून की धारा 3(1)(झ) के तहत अपने सामूहिक वन अधिकार का दावा अवश्य जल्द से जल्द जमा करें और कानून की धारा 5 के तहत वन भूमि के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा का अधिकार स्थापित करें**
- ✓ **वन अधिकार कानून के नियम 4(1)(ड़) के तहत वन अधिकार प्रबंधन और संरक्षण समिति का गठन करें**
- ✓ **अपने गाँव की वन भूमि में भू-माफिया, बड़े उद्योगों द्वारा वनों के दोहन को रोकने के लिए संघर्षशील हों**

- ग्राम सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित करवाएं की वन अधिकार कानून के तहत प्रक्रिया अभी जारी है और इस दौरान किसी भी हकदार की बेदखली नहीं की जा सकती
- यदि आपकी ग्राम सभा के दावेदारों के दावे गलत तरीके से खारिज किये गए हैं तो इस पर प्रस्ताव पारित करें की नामंजूरी गैर-कानूनी है और दावों के पुनःआंकलन की प्रक्रिया को लेकर ग्राम सभा की कार्यवाही जारी है
- अपनी राज्य सरकार से मांग करें की गलत प्रक्रिया से खारिज दावों का पुनःआंकलन हो
- राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को चिट्ठी/ ज्ञापन पेश करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की भूमिका को लेकर जानकारी हासिल करें
- अपने क्षेत्र में दावों की स्थिति की जानकारी उपलब्ध करें और इसका दस्तावेज़िकरण करें. इस जानकारी को मुख्य सचिव तक पहुंचाएं. निम्न जानकारी शामिल करें:
    - अनुसूचित जनजाति और अन्य-परम्परागत वन निवासियों द्वारा पेश किये गए व्यक्तिगत और सामूहिक दावों की अलग-अलग जानकारी
    - दावों की मौजूदा स्थिति – कितने मिलेए कितने विचाराधीन हैं और कितने खारिज हुये हैं
    - कितने समय से दावे विचाराधीन हैं
    - दावों की नामंजूरी के क्या कारण हैं और क्या प्रक्रिया अपनाई गयी
    - ग्राम सभा का गठन सही तरीके से हुआ है या नहीं
    - ग्राम सभा की कार्यवाही में कोई समस्या या बाधा है क्या
- अपनी राज्य सरकार से मांग करें की वह सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे वन अधिकार कानून के खिलाफ मुकदमे को 5 न्यायाधीश की बेंच के सामने लगवाने के लिए दबाव डालें
- जहां बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है
    - सुनिश्चित करें की दावों की नामंजूरी की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है
    - सुनुश्चित करें की बेदखली की प्रक्रिया से जुड़े केंद्रीय और राज्य स्तरीय नियमों और कानूनी प्रावधानों का उलंघन नहीं किया जा रहा है
    - ग्राम सभाए जिलाधिकारी, सचिव आदि को ऐसी प्रक्रिया के बारे में तुरंत सूचित करें
    - राज्य स्तरीय निगरानी समिति तथा उच्च न्यायालय में अवैध बेदखली के खिलाफ याचिका दायर करें
    - जिला स्तर पर उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता लें

शिक्षित हों! संगठित हों! संघर्ष करो!